दिनांक : 05.07.2017

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति महोदय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली - 110 004

विषयः कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत फरियाद

फरियादी : **मुकेश ठाकुर (लुधियाना जेल से)**
निवासीः मकान नंबर 14060, गली नं. 2, राम नगर,
टिब्बा रोड़, लुधियाना, पंजाब - 141007

विरूद्ध

आरोपी नं. 1 : **अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की**
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99888 - 50660

आरोपी नं. 2 : **सुखदेव सिंह**
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 98888 - 99908

आरोपी नं. 3 : [redacted]**कौर पुत्री जोगिंदर सिंह**
(आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और सुखदेव सिंह की बहन)
निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99146 34353

आरोपी नं. 4 : **स्वर्ण सिंह A.S.I.** (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)

आरोपी नं. 5 : ~~**इंस्पैक्टर गुरबिंदर सिंह SHO**~~
विजय कुमार SHO (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)
मोब. 7837018615

आरोपी नं. 6 : **सचिन गुप्ता ACP/North,** लुधियाना

आरोपी नं. 7 : ~~**दीपक शर्मा SHO**~~
हरजिन्दर सिंह SHO (P.S. डिवीज़न नं. 1, लुधियाना)
मोब. 7837018601

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र इंद्रकांत ठाकुर (पताः 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना, पंजाब - 141007) हूँ| मैं और पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद (पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना के ऊपर झूठी F.I.R. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 के दिन IPC u/s 384, 420, 511, 500, 120(बी), 34 के तहत दर्ज की गई है, पूरा मामला निम्नानुसार हैः

1. फरयादी के पास पीड़ित शिकायत लेकर आया कि, पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद ने दिनांक 01.05.2017 को जब देखा कि उसके खाते से 11861 रुपए गैर - कानूनी तरीके से निकाल लिए गए तो पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा इस गैर - कानूनी तरीके से निकाले गये रुपये की शिकायत दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई जिसका शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) है मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर NGO के सहयोग से Paytm के ऑफिस (नोएडा) में जाकर गैर - कानूनी तरीके से निकाली गई रकम के ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई जिसके मिलने के बाद पीड़ित उसे लेकर वापस पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल गया और नई शिकायत दी मगर पुरानी शिकायत दी जाने के वजह से नई शिकायत नहीं ली गई जिसके बाद पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नई शिकायत पीड़ीत लकी उर्फ जयहिंद द्वारा दि. 22/05/2017 को दी गई जिसका नं. 114070 है|

2. जब देखा की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो बैंक जाकर जिस बैंक खाते नंबर में पैसा गैरकानूनी तरीके से लिया गया था उसके नाम व पते की जानकारी बैंक मैनेजर से मांगी गई, काफी समझाने के बाद जाकर मैनेजर ने खाताधारक का नाम व पता बताया जिससे पता चला कि यह अमृतपाल सिंह उर्फ विकी है| जब अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की (मोब. 99888 - 50660 पताः मकान नः 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना) से इस मामले में पूछा गया तो वह साफ मुकरने लगा पर जब सारे सबूत दिखाएं तो वह यह देख कर समझ गया कि, 'मैं फंस गया हूँ' तो उसने अपने इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह (जो पंजाब सरकार के अधीन फ़ूड एंड सप्लाई विभाग, बटाला (गुरदासपुर) में बतौर इंस्पेक्टर तैनात है) को बुलाकर धमकियां देने की कोशिश की मगर संगठन का उसूल है कि, 'अपराध खत्म करना है ना कि अपराधी को' अगर कोई अपराधी गलती से या नासमझी और बहकावे में गुमराह होते हुये कोई जुर्म कर बैठता है तो परिस्थिती को

समझते हुए उससे स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लिखवाते हुए मूल नुकसान की भरपाई होने वाले खर्च के साथ जोड़ कर ले ली जाए जिससे आरोपी अपराध करने के बारे में दुबारा ना सोचे जिसकी स्टैम्प पेपर पर पूरी लिखा - पढ़ी की जाती है| जैसा कि संगठन द्वारा अन्य मामलों में किया जाता है (उदाहरण के रूप में दो माफीनामा दिया जा रहा है)|

3. मगर यहाँ पर अपराधी, बनाम अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और उसका भाई सुखदेव सिंह अपराध करने के बाद भी पीड़ित को धमकियां दे रहा था और गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा था जब संगठन द्वारा राजीनामा के समय पैसों की अपेक्षा आरोपी के बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही बात की गई, ताकि अपराधी ने ऐसा छल - कपट करके कितने लोगों को लूटा उसका पता चल सके लेकिन बैंक स्टेटमैंट नहीं दिया गया (जिससे अगर किसी और के साथ धोखाधड़ी की गई हो तो यह मामला सीधे पुलिस स्टेशन में दिया जाए अन्यथा पहला अपराध समझ कर माफ करते हुये पीड़ित के हुये खर्च को मिलाकर पीड़ित के साथ की गई धोखाधड़ी की रकम दी जाए) मगर बैंक स्टेटमेंट का नाम लेते ही पीड़ित के भाई द्वारा धमकियां दी जाने लगी और कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारु पीता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अतः मैं यह 40,000 देता हूं और जल्द ही बैंक स्टेटमेंट भी दे दूंगा" कह कर उसने रु. 20,000/ - तुरंत दिए और बाद में ध्यान रखने के लिये उसके द्वारा सादे कागज पर पंजाबी में लिखकर लिया गया और यह कहकर चले गए कि, बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं क्योंकि संगठन द्वारा स्टैम्प पेपर पर ही आरोपी का राजीनामा/माफीनामा लिखवा कर लिया जाता है इसलिये कागज पर केवल रकम प्राप्ति से संबंधित ही लिखा गया था जिससे बाद में पूर्ण विवरण के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखा जा सके|

4. जब देखा कि, आरोपी <u>अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और उसका भाई सुखदेव सिंह बैंक स्टेटमेंट लेकर नहीं आये</u> तो यह सिद्ध हो गया कि, आरोपी अपने वादे से मुकर गये हैं जिसकी वजह से संगठन वह राजीनामा जो स्टैम्प पेपर पर बनावाया जाना था वह नहीं बनवा पाया 'ज्ञात रहे कि संगठन अपने पास आये किसी भी मामले को बंद करने से पहले दोषी से माफीनामा लिखवा कर अवश्य लेता है'| आरोपियों द्वारा बैंक स्टेटमैंट नहीं देना यह प्रमाणित करता था कि, आरोपियों द्वारा कई लोगों के साथ छल - कपट करके धोखाधड़ी की गई है और बैंक स्टेटमेंट से आरोपी के अन्य अपराध भी उजागर हो जाते| अतः हमारे लिए अपराधी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देना जरुरी हो गया था जिससे पुलिस आवश्यक कार्यवाही करे और अपराधी को सजा दे सके साथ ही यह वजह भी हमें पुलिस को जानकारी देने के लिये मजबूर कर रही थी क्योंकि अपराधी के भाई द्वारा धमकियां देते हुए यह कहा गया था कि,

"मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने अभी मकान खरीदा है जो मूल कीमत से भी 50 हजार अधिक देकर खरीदा है" इस प्रकार की धमकियाँ अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व उसके भाई सुखदेव सिंह की मानसिकता को पूरी तरह आपराधिक दिखा रही थी, अमृतपाल उर्फ विक्की सबूतों के बिनाह पर अपराधी साबित हो ही रहा था साथ ही उसके भाई सुखदेव सिंह द्वारा हमें दी गई धमकियाँ साफ - साफ उसकी आपराधिक मानसिकता व भ्रष्टाचार को दर्शा रही थीं, इस तरह पुलिस के साथ मिलकर षडयंत्र रचा गया|

5. अपराधियों ने Paytm से गैर - कानूनी तरीके से कई लोगों की रकम निकाली हो सकती है अतः इसकी जाँच करवाना अति आवश्यक है| हमारी शिकायत पहले ही सबूतों के साथ दिए जाने के बावजूद FIR दर्ज न करना पुलिस स्टेशन के भ्रष्टाचार को साफ - साफ दर्शा रहा है अतः मेरी शिकायत ली जाए और उसपर उचित धाराओं के साथ FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाये|

6. आरोपियों द्वारा यह धमकी भी दी गई थी कि, 'वे लड़की के द्वारा हमें फसाँयेगे' जिसको आरोपियों ने अपनी बहन का इस्तेमाल करके व झूठा आरोप लगाकर साबित भी कर दिया| यह मामला डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में दिनांक 21.06.2017 को दर्ज हुआ जो केवल शिकायत व मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर बना दिया गया जबकि घटनास्थल थाने से 5 मिनट की दूरी पर ही है मगर जाँच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंच कर आवश्यक प्राथमिक जानकारी लिए बिना ही हम लोगों को रात भर हवालात में रखा जिसके बाद हमें दूसरे दिन जमानत लेनी पड़ी| इस तरह Whistle Blower Act का भी उल्लंघन किया और झूठे केस में फँसाया गया|

7. डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में हम पर दर्ज झूठे मामले में [redacted] कौर पुत्री जोगिंदर सिंह (आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और सुखदेव सिंह की बहन, निवासीः मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना), दर्ज शिकायत पर एक जाँच अधिकारी हल्की सी भी नजर डालेगा तो वह केवल मैडिको लीगल रिपोर्ट और बयान को पढ़ कर ही इस शिकायत को झूठा करार दे देगा क्योंकि दोनों एक - दूसरे के विपरीत हैं मैडीको लीगल रिपोर्ट में साफ - साफ लिखा है कि खून नहीं निकला जबकि शिकायत में दर्ज किया गया है कि, तेज़ धारदार हथियार से मारा गया व खून निकला| मैडिको लीगल रिपोर्ट में शरीर पर दो जगह हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है,

   a. सामने से दाहिने तरफ के कान पर हमला, ऐसा नजर आ रहा है

   b. पीछे से बायें कंधे पर हमला किया गया, ऐसा नजर आ रहा है

c. जबकि शिकायतकर्ता के बयान में केवल पीछे से एक ही बार हमला किया गया दर्ज है|

8. यह मामला भी पूरी तरीके से फर्जी है क्योंकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में 9:30am से मौजूद था जिसकी गवाही मेरी कंपनी के मालिक ने भी पुलिस थाने में दी थी मगर जाँच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक प्राथमिक जांच किए बिना मामला दर्ज करते हुये हमें हवालात में बंद किया गया जबकि लकी उर्फ जयहिंद उस वक्त (लगभग 11.00 बजे से 1.00 बजे तक) Nauhria's Multispeciality Hospital (पताः HIG - 452, जमालपुर कॉलोनी, लुधियाना मोब. 98140 - 22165, 98140 - 22798), में मेरी मम्मी चंद्रकला ठाकुर की इलाज के लिये मेरी मम्मी व बहन नीलम झा के साथ मौजूद था जिसकी पुष्टि करने के लिये जमालपुरा अस्पताल से दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच की CCTV फुटेज देखकर की जा सकती है| ज्ञात हो कि, यह मामला डॉ. रिनी जोहर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशों का भी उल्लंघन है|

नोटः a. तुरंत ही Nauhria's Multispeciality Hospital से दिनांक 21.06.2017 को 11.00am बजे से 1.00am बजे तक के CCTV फुटेज सील करवाने की व्यवस्था करवाई जाये जिससे पीड़ित को निर्दोष साबित करनेवाला महत्वपूर्ण सबूत नष्ट ना हो सके|

b. घटना वाले दिन दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00am बजे तक का 'रेकी सिनेमा व बैंक ऑफ इंडिया (ज़ोनल ब्रांच) से लेकर पुरानी कचहरी की ओर जाने वाले ब्रिज' पर चढ़ते समय वाली जगह पर लगे दोनों सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज ली जाये साथ ही ब्रिज खत्म होते समय के भी सभी सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज सील करवा ली जाये|

9. यह पूरा मामला भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी से संबंधित है जो प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस स्कीम पर भी कुठाराघात कर रहा है क्योंकि यह सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अतः मैं चाहता हूँ कि एक विशेष पुलिस जाँच टीम का गठन करते हुये इस पूरे मामले की जाँच की जाये जिससे दोषी पुलिस कर्मचारियों व अपराधियों को सजा मिला सके| इस मामले में अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के बैंक स्टेटमैंट के आधार पर अन्य अपराधों की जाँच तो की ही जाये साथ ही आरोपी के धमकी देने वाले इंस्पैक्टर भाई सुखदेव सिंह का फॉरैन्सिक ऑडिट करवाते हुये उसके सभी बैंक खातों के साथ-साथ खरीदी गई संपत्तियों की भी जाँच करवाई

जाये जिससे अगर धमकी देने वाला इंस्पैक्टर भाई सुखदेव सिंह भ्रष्टाचारी व गुन्हगार साबित हो तो उसको सजा दी जा सके|

10. फरयादी को झूठे केस में फँसाने के लिये पुलिस के साथ मिलकर झूठा केस किया गया परिणामस्वरूप निम्नलिखित तौर से परेशान किया गया:

a. मैजिस्ट्रेट ने भी पुलिस से कोई शिकायत है की नहीं, ये भी नहीं पूछा

b. ज्युडिशियल कस्टडी के आदेश के बाद फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह के कहने से पुलिस ने फरयादी व पीड़ित को गैरकानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर मोहल्ले में बदनामी करने हेतु व सुखदेव सिंह की दहशत कायम करने हेतु घुमाया|

c. पीड़ित के कार्यालय से CCTV कैमरा व उससे संबंधित पार्ट्स (जैसे DVR व Hard Disk आदि) व प्रिंटर भी ले गये और कोई पंचनामा भी नहीं किया|

d. जमानत अर्जी गैर - कानूनी तौर पर रद्द की परिणामस्वरूप फरयादी व पीड़ित बेगुनाह होकर भी जेल में है|

e. डी.के. बासु केस की गाईड लाईन्स का भी पालन नहीं किया गया

इन सभी तरीके से गैरकानूनी षडयंत्र किया गया

जरूरत पड़ने पर व सच्चाई उजागर करने के लिये हमारा नार्को टैस्ट लिया जा सकता है जिसका खर्चा भी हम लोग मकान बेचकर या 'जैसे भी होगा' करेंगे मगर आरोपियों के अपराध सिद्ध होने पर नार्को टैस्ट में हुआ खर्चा हमें वापस दिलवाना होगा|

पुलिस ने गुटबाजी करते हुये योजनाबद्ध तरीके से झूठा केस बनाया और गैर - कानूनी तरीके से डी.के. बासु की गाईडलाईन के विपरीत काम किया इसलिये उनके विरूद्ध भी जाँच की जाये|

हमारे संगठन द्वारा अन्य मामलों में किए गए राजीनामा के उदाहरण भी साथ में संलग्न है|

Mukesh Thakur

मुकेश ठाकुर
(लुधियाना जेल से)

संलग्न दस्तावेज़ :

1.	पीड़ित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c)	1 - 1

2.	पीड़ित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 114070	2 - 2
3.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र	3 – 7
4.	पीड़ित का शपथ - पत्र	8 - 11
5.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	12 – 12
6.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बड़ौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	13 - 13
7.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का 'Snapshot	14 - 15
8.	पीड़ित द्वारा पासपोर्ट आवेदन की कॉपी	16 - 18
9.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र की रसीदें	19 - 19
10.	सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot'	20 - 20
11.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले राजीनामा से पहले दी गई रकम की पंजाबी में बनाई गई कच्ची लिखा - पढ़ी	21 - 21
12.	संगठन द्वारा अन्य मामलों में बनाया गया माफीनामा	22 - 28
13.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन [redacted] कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट	29 - 41
14.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधेवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी	42 - 50
15.	आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot'	51 - 53

प्रतिलिपी :

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय
3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC)
6. भारत का विधी आयोग
7. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
8. लोकायुक्त, पंजाब
9. पुलिस महानिदेशक (DGP)
10. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
11. केन्द्र सर्तकता आयोग (CVC)
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317214IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:PR AUR HARYANA UCHCH,
High Court S.O, PIN:160001
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:14
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317231IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:PM,SOUTH BLOCK
NEW DELHI, PIN:110011
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:15
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317259IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:DGP,PB POLICE HEAD QUERT
Sector 9 (Chandigarh) S.O, PIN:160009
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:16
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317355IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:PRSIDENT,RASHTARPATI BHAWAN
Rashtrapati Bhawan S.O, PIN:110004
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:16
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317364IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:ZILA JMIC MUKH NAYAY,
Ludhiana H.O, PIN:141001
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:17
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317347IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:CHIEF JUSTICE,HIGH COURT
NEW DELHI, PIN:110201
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:18
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317245IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:ZILA AUR SATAR NAYAN,NEW COURT COMPLEX
Ludhiana H.O, PIN:141001
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:19
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317228IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:RASHTARIYA MANAVDHIK,MANAV ADHIKAR BHAWAN
NEW DELHI, PIN:110023
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:20
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317378IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:ADHEYAKSH,BHARAT KA VIDHI AYOG
NEW DELHI, PIN:110001
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:21
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

RL BASTIJODHEWAL <141007>
RL A RP631317333IN
Counter No:1,OP-Code:RU BY
To:CVC,A BLOCK
NEW DELHI, PIN:110023
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:300grams,
Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:22
<<Track on www.indiapost.gov.in>>